

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2950]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 2950]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3931(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3349 तारीख 02.12.2009 में, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 12.12.2009 में पृष्ठ 7985 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

पृष्ठ संख्या 7985 में गांव झिंटीसासन के संबंध में तहसील – बालिअन्ता, जिला – खोर्द्धा, राज्य-ओडीसा में दिये गये प्लॉट संख्या 2520 में वर्णित हेक्टेयर 00 एकड़ 00 वर्ग मीटर 70 की जगह हेक्टेयर 00 एकड़ 01 वर्ग मीटर 20 पढ़ें।

अधिसूचना का शेष अंश अपरिवर्तित रहेगा।

[सं. आर-25011/18/2009-ओ आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December 2013

S.O. 3931(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 3349 dated the 2nd December, 2009, published on the page 8000, in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 12th December, 2009, namely :—

On the page 8000, for “Tehsil-Balianta, District-Khurda, State-Odisha” in respect of village “Jhintيسان”, read area for “Plot No. 2520” as Hectare 00 Are 01 Sq. mtr. 20 instead of Hectare 00 Are 00 Sq. mtr 70.

The other contents of the notification remain unaltered.

[No. R-25011/18/ 2009-O.R.-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.